भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय

पर्यटन से संबंधित विषयों पर मूल रुप से हिन्दी में लिखी पुस्तकों के लिए राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना - 2007-08

पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन से संबंधित विषयो पर मूल रुप से लिखी गई पुस्तकों के लिए " राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना " चलाई जा रही है । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं । पुरस्कार योजना का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :-

पुरस्कार का नाम

राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना - पर्यटन से संबंधित विषयो पर मूल रुप से हिन्दी मे लिखी पुस्तको के लिए

पुरस्कार वर्ष

वर्ष 2007-08 के लिए आमंत्रित प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 के बीच मे मूल रुप से हिन्दी मे लिखी अथवा प्रकाशित होनी चाहिए ।

पुरस्कार की राशि

(1)	प्रथम पुरस्कार	(एक)	20,000/- रुपए
(2)	द्वितीय पुरस्कार	(एक)	16,000/- रुपए
(3)	तृतीय पुरस्कार	(एक)	10,000/- रुपए
(4)	सांत्वना पुरस्कार	(एक)	6,000/- रुपए

विषयः

1. पर्यटन से संबंधित विषय जैसे कि साहसिक पर्यटन, खेल पर्यटन, समुद्रतट पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, पर्वतारोहण, पैदल पथ भ्रमण (ट्रेकिंग) हिल पर्यटन, जल क्रीड़ाएं, अवकाश एवं सावकाश पर्यटन आदि ;
2. यात्रावृत्तांत तथा यात्रा उद्योग संबंधी पुस्तक ;
3. होटल उद्योग, होटल प्रबंध, अनुप्रयुक्त पोषाहार, कैटरिंग तकनॉलाजी ;
4. भारत के पर्यटक स्थल तथा वहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं और पर्यटन की आधारभूत सुविधाएं एवं पर्यटन संवर्धन की संभावनाएं ;

5. पर्यटन का विकास तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का रख-रखाव एवं संरक्षण;
6. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलो, त्यौहारो, प्रदर्शनियो, सम्मेलनो एवं समागमो का आयोजन और उपलब्ध/उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का विवेचन ;
7. पर्यटन से संबंधित अन्य कोई विषय ;
8. पुरातत्व महत्व का कोई भी विषय जैसे स्मारकों का रख-रखाव, स्मारक, पुरालेख, संग्रहालय, उत्खनन ।

पात्रता

1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक प्रकाशित पुस्तको और अप्रकाशित पाण्डुलिपियो पर ही विचार किया जाएगा ।

इस योजना मे पर्यटन मंत्रालय में नियुक्त या सेवानिवृत्त व्यक्तियो सहित सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं । यदि कोई पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं समझी गई तो यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा । केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था या संगठन के साथ हुई संविदा के अनुसरण मे या किसी स्कीम के अधीन प्रकाशित पुस्तकें इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी ।

इन पुरस्कारो से संबंधित सभी मामलों पर पर्यटन मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा और इस पर कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र मे पुस्तको अथवा साफ-साफ टाईप की गई पाण्डुलिपियो की पांच-पांच प्रतियो के साथ 31 अक्तूबर, 2008 तक संयुक्त निदेशक (राजभाषा) पर्यटन मंत्रालय, सी-। हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं0 011-23015594 को भेजी जा सकती हैं । 31 अक्तूबर, 2008 के बाद प्राप्त पुस्तकें स्वीकार्य नहीं होगी ।

निर्धारित प्रपत्र तथा अन्य शर्तें सहायक निदेशक (राजभाषा), पर्यटन मंत्रालय, सी-। हटमेंटस, डलहौजी रोड, नई दिल्ली, दूरभाष सं0 011-23015594 से प्राप्त की जा सकती हैं ।

****